रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 1989/श्रावण 19, 1911
No. 495] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 1989/SRAVANA 19, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1989

का. आ. 628(अ):—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है

अब, अत. केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के नियम 5 के उपनियम (5) और नियम 6 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के तत्कालीन वित्त, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं. 566(अ), तारीख 17-7-81 को अधिक्रांत करते हुए, उस प्रस्ताव को जिसमें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,

1951 (1951 का 65) के अधीन शत्प्रतिशत् निर्यातोन्मुखी उपक्रम की स्थापना या पर्याप्त विस्तार के लिए कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापन किया जाना अपेक्षित है, उस प्ररूप के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प सं. 8(15)/78-एल पी. तारीख 31-12-80 में यथापरिभाषित किसी शत्प्रतिशत् निर्यातोन्मुखी उपक्रम से संबंधित किसी प्रस्ताव की बाबत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना, यथास्थिति, दी जाएगी या धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाएगा।

[फा. सं. 5/26/89—एम-I]

एल. सी. गोयल, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 1989

S.O. 628(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 5 and sub-rule (3) of rule 6 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970, and in supersession of the notification of the Government of India (No. 566(E), dated 17-7-81) in the then Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Company Affairs, the Central Government hereby specifies the Form in which an application for a licence or permission for the establishment or substantial expansion of hundred percent Export Oriented Undertakings is required to be made under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), as the Form in which a notice under sub-section (1) of section 21 or an application under sub-section (2) of section 22 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), shall be given or made, as the case may be, in respect of any proposal relating to a hundred percent Export Oriented Undertaking as defined in the resolution of the Government of India, in the Ministry of Commerce No. 8(15)/78-LP, dated 31-12-80 as amended from time to time.

[F. No. 5/26/89-M. I.]

L. C. GOYAL, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989